न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री चन्द्रभानसिंह भाटी, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 44/2021
GCMS Case No. 2021/00132

सायल :–	**बनाम**	**गैरसायलः–**
सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक पाली		श्री मुकेश पुत्र श्री बाबुलाल जाति हरीजन निवासी हरीजन बस्ती बस स्टेण्ड पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(1)3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :
सायल की ओर से अभियोजन अधिकारी पाली
गैर सायल स्वंय उपस्थित।

:: निर्णय ::

दिनांक :– 13-4-2023

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 02.07.2021 को गैरसायल मुकेश पुत्र श्री बाबुलाल जाति हरीजन निवासी हरीजन बस्ती बस स्टेण्ड पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(1)3 के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना कोतवाली पाली जिला पाली क्षैत्र का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति हैं, जिसके खिलाफ 1992 से इस्तगासा पेश करने की अवधि में कुल 5 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। गैर सायल आले दर्जे का शराब तस्कर जुआरी झगडालु व बदमाश प्रवृति का है। जो वर्तमान में भी इसकी आपराधिक गतिविधियां निर्बाद्व रूप से जारी है, गैर सायल के खिलाफ आमजन शिकायत करने से भी कतराते है। किसी आपराधिक प्रकरण में गिरफ्तार होने के उपरान्त न्यायालय से जमानत पर छुटने पर यह जुआ खेलना एंव अन्य लोगो को भी जुआ खेलने के प्रेरित करता है। जिससे एक को अनुचित लाभ व अन्य को अनुचित हानि होती है। इसके कार्यकलापों की वजह से लोक व्यवस्था पर प्रतिकुल प्रभाव पडता है। गैर सायल के विरूद्ध 13 आर.पी.जी.ओ के तहत 02 प्रकरण एवं भादस के तहत 03 कुल 05 प्रकरण पंजीबद्ध हुए है। गैर सायल के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	मु.न.दिनांक	धारा	नाम थाना	चार्जशीट नम्बर	निर्णय पुलिस व न्यायालय
1	406/30.07.1992	307 भादस	कोतवाली	303/25.08.92	जैर ट्रायल
2	488/13.12.1995	147,148,149,341, 323,324,325 भादस	कोतवाली	353/27.12.95	जैर ट्रायल
3	421/18.11.20	143,323 भादस	कोतवाली	287/15.12.2000	जैर ट्रायल
4	232/20.5.2012	13 आर.पी.जी.ओ	कोतवाली	163/20.05.12	दिनांक 14.06.2012 को सीजेएम पाली से 100 रू जुर्माना व 01 दिन का साधारण कारावास
5	475/30.09.2015	13 आर.पी.जी.ओ	कोतवाली	278/08.10.15	दिनांक 28.10.15 को एसीजेएम पाली से 50 रूपये जुर्माना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित होती है कि गैरसायल श्री मुकेश पुत्र श्री बाबुलाल जाति हरीजन निवासी हरीजन बस्ती बस स्टेण्ड पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली आदतन जुआरी एवं बदमाश है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध प्रवृति में लिप्त है। जिसके आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है। गैर सायल के कार्यकलापों से लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा **2(ख)/3** राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई।

अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली का अव्वल दर्जे का जुआरी है, जिसके विरूद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैर सायल के कार्यकलापों से लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है एवं पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(सा.द.) पाली के प्रकरण संख्या 376/2015 में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2015 को आदेश पारित करते हुए 13 आर.पी.जी.ओ के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 200/– रूपये का जुर्माने एवं पांच दिवस का साधारण कारावास के दण्ड से दंडित किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत इस्तागासा एवं दस्तावेजों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)/3 के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल मुकेश पुत्र बाबुलाल जाति हरीजन निवासी हरीजन बस्ती बस स्टेण्ड पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत तीन माह की अवधि के लिए पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली से निष्काषित कर पुलिस थाना प्रतापनगर जिला जोधपुर के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 28-4-2023 से 90 दिन के लिये पुलिस थाना प्रतापनगर जिला जोधपुर में सप्ताह में एक बार अर्थात 90 दिन में 12 बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी प्रतापनगर जिला जोधपुर गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नही रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नही लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल मुकेश पुत्र बाबुलाल हरीजन इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली, गैरसायल मुकेश को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना प्रतापनगर जिला जोधपुर की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी कोतवाली जिला जोधपुर उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी कोतवाली पाली जिला पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली एवं थानाधिकारी प्रतापनगर जिला जोधपुर को भिजवाई जावे।

(चन्द्रभानसिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 13-4-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभानसिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)